फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती अनीता   बनाम   विपक्षी : श्री सीताराम व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम   पत्रावली संख्या : 62/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 25.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा सालेडा पटवार हल्का सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 537 की आराजी नम्बर 350, 351 352 किता 3 रकबा 2.5400 है. भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 482 की आराजी नम्बर 349 रकबा 0.6500 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।